न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 127 / 2024(GCMS : 2024/183)**

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, मुख्य शाखा, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्रीमती पूनम गुप्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **श्री नरेश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह** निवासी वार्ड नं. 2, गांव धालेवाला(चक 2 एलएल), उद्योग विहार, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. **श्री दिलबाग सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह** निवासी वार्ड नं. 2, गांव धालेवाला(चक 2 एलएल), उद्योग विहार, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.10.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने अप्रार्थी नरेश कुमार एवं दिलबाग सिंह द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी नरेश कुमार एवं दिलबाग सिंह की रिहायशी सम्पत्ति पट्टा नं. 20, बुक नं. 19, गांव धालेवाला (चक 2 एलएल), ग्राम पंचायत 4 एलएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 60' गुणा 75' वर्गफुट) **का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2024 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थी [illegible] प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है, इसलिए प्रार्थी बैंक [illegible] विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है [illegible] **नॉट प्रेस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 10.09.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण नरेश कुमार एवं दिलबाग सिंह के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में नरेश कुमार की रिहायशी सम्पत्ति पट्टा नं. 20, बुक नं. 19, गांव धालेवाला (चक 2 एलएल), ग्राम पंचायत 4 एलएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 60' गुणा 75' वर्गफुट) का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested